



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)



लेखा / क्रमांक / 2020-21 / 1128

दिनांक : 13 / 08 / 2020

प्रति,

शाखा प्रबंधक

.....  
.....

विषय: सावधिजमा में विनियोजन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको से ब्याज दर प्राप्त करने बाबत।

विश्वविद्यालय की विभिन्न सावधिजमा जोकि माह अगस्त 2020 की विभिन्न तिथियों में परिपक्व हो रही हैं। जिनकी परिपक्वता कुल राशि ₹ 7,14,89,286 (रु. सात करोड़ चोदह लाख नवासी हजार दो सौ छियासी) मात्र का परिपक्वता तिथि अनुसार सावधि जमा में विनियोजन किया जाना है। अतः आपकी बैंक द्वारा सावधि जमा पर लागू ब्याज दर को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपने बैंक के लेटर हेड पर सील बंद लिफाफे में दिनांक 24 / 08 / 2020 को शाम 05.00 बजे तक विश्वविद्यालय के लेखा शाखा में सावधि जमा निविदा बाक्स में डाली जाए।

स. क्र.	अवधि	राशि रु. दो करोड़ से कम पर ब्याज दर	राशि रु. दो करोड़ से अधिक पर ब्याज दर
1	1 वर्ष		
2	2 वर्ष		
3	3 वर्ष		
4	4 वर्ष		
5	5 वर्ष		

- नोट:- 1. उक्त विनियोजन पर बैंक द्वारा यदि विशेष ब्याज दर निर्धारित की गई हो तो अपने प्रस्ताव में इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
2. आपके बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर 03 / 09 / 2020 तक की अवधि के लिये वैध (Valid) होनी चाहिये।
3. बैंक में लागू ब्याज दर ई-मेल [rinkijainfo.mcu@gmail.com](mailto:rinkijainfo.mcu@gmail.com) पर भी प्रेषित कर सकते हैं।
4. बैंक द्वारा प्रस्तुत ब्याज दरें प्रतिदेय (Callable) हो जिससे कि विश्वविद्यालय को समयपूर्व नगदीकरण करवाने पर ब्याज की प्राप्ति हो सके।

भवदीय,

(रिंकी जैन)  
वित्ताधिकारी